न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 135 / 2025(GCMS : 2025/179)

ICICI Bank Ltd. Having its registred office at "Landmark" Race course circle, Vadodra – 390007462 Corporate office at ICICI bank Towers, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai-400051

बनाम

1. **संजय कुमार** पुत्र श्री जुगल किशोर पता 1. वार्ड नं. 6, कोडियापुली, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर 2. मकान नं. 27, वार्ड नं. 27 / 10 (नया वार्ड नं. 06), पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर 3. 27, गली नं. 01, कोडियो वाली पुली, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर, 4. जुगल किरयाना स्टोर, शॉप नं. 182, वार्ड नं. 6, कोडियांवाली पुली, श्रीगंगानगर
2. **निरमा** पत्नी श्री संजय कुमार पता 1. वार्ड नं. 6, कोडियापुली, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर 2. मकान नं. 27, वार्ड नं. 27 / 10 (नया वार्ड नं. 06), पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर 3. 27, गली नं. 01, कोडियो वाली पुली, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर, 4. मैसर्स निरमा साड़ी हाउस, हाउस नं. 27, वार्ड नं. 06, कोडियों वाली पुली, ओल्ड आबादी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15.04.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक / कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री विजय मिढ़ा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2025 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक / कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण संजय कुमार एवं निरमा को ऋण सुविधा के रूप में दिनांक 31.10.2019 को 28,72,766 / —रूपये एवं दिनांक 13.08.2020 को 4,41,000 / — रूपये ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी संजय कुमार द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति** आवासीय मकान नं. 27, वार्ड नं. 27 / 10 (नया वार्ड नं0 06), पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर, जिसका क्षेत्रफल 1000 स्केयर फीट है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:52:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण संजय कुमार एवं निरमा** को ऋण सुविधा के रूप में खाता संख्या LBGAN00005163157 में राशि 6,46,027/— खाता संख्या LBGAN00005163158 में राशि 22,26,739/— एवं खाता संख्या LBGAN00005324789 में राशि 4,41,000/—की स्वीकृति प्रदान की थी । प्रार्थी बैंक ने उक्त तीन खातों हेतु अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के दो अलग – अलग नोटिस जारी कर वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 का एक ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि प्रार्थी बैंक को उनके द्वारा जारी धारा 13(2) के प्रत्येक नोटिस हेतु अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, जो प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई. बैक का उक्त प्रार्थना पत्र उन्हें लौटाया जाता है। उक्त प्रार्थना पत्र में संलग्न मूल दस्तावेजों की सत्यापित प्रति प्राप्त कर, कार्यालय में रखी जावे। प्रार्थी बैंक/कम्पनी उक्त अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना करते, पुनः धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.04.[illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:52:14 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर